


19/6/18


पत्रावली आठ पेश हुई वकील वकी गण उपस्थित
 प्रतिवादीगण उपस्थित। उक्त में वकी गण व प्रतिवादीगण
 ने कथन किया है कि पत्रावली में वकिल तथ्यों के
 आधार पर उक्त का निस्तारण किया जावे। उक्त
 अभ्यपक्षकारण उचितता सुनी गयी और हर पत्रावली
 का उद्देश्य उद्देश्य किया गया बाद उद्देश्य
 वकी गण ने विवादित अर्थों पर खाड़ी निवेदन का अर्थ
 पाठ गये हैं उक्त विवेचन व स्लाबेनी साक्ष्य के अनुसार
 वकी गण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जावे
 हैं। पिल्लर अदिश पृथक से राईप करवा कर -यापालय
 मोर एव और स्लाबर व शामिल मिल दिया गया। पिल्लर
 पिल्लर शुमार होकर नम्बर व कम हो। पत्रावली

अभ्यपक्ष/प्रमाण

अभि. सं.



अभि. सं.



पुरव

5

सुरेश चावला

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 मसूदा (अजमेर) राज.

